

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
सं० /2014/181(120)/XXVII(8)/2008
दिनांक:: देहरादून :: 26 मार्च, 2014

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 71 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 में अग्रतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते हैं-

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2014

- संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2014 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।
- नियम 11 का संशोधन
2. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005, जिसे यहाँ आगे "मूल नियम" कहा गया है, के नियम 11 में :-
(1) उपनियम (1) में दी गयी सारणी के क्रम संख्या 1 पर तीसरे स्तम्भ में प्रयुक्त शब्दावली, अल्प विराम एवं अंक "त्रैमासिक, जून 30, सितम्बर, 30 दिसम्बर 31 और मार्च 31 को समाप्त होने वाले त्रैमास के लिये उत्तरवर्ती माह की 25 तारीख तक" के स्थान पर निम्नलिखित शब्दावली, अल्प विराम एवं अंक रख दिया जायेगा; अर्थात्-
"त्रैमासिक, जून 30, सितम्बर 30, दिसम्बर 31 और मार्च 31 को समाप्त होने वाले त्रैमास के लिये उत्तरवर्ती माह की अन्तिम तारीख तक।"
(2) उपनियम (1) में दी गयी सारणी के क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5 व 6 पर चौथे स्तम्भ में प्रयुक्त शब्दावली एवं अंक "उत्तरवर्ती माह की 25 तारीख तक" के स्थान पर "उत्तरवर्ती माह की 20 तारीख तक" शब्दावली एवं अंक रख दिया जायेगा।
(3) उपनियम (1) के तीसरे परन्तुक के बाद निम्नलिखित एक नया परन्तुक जोड़ दिया जायेगा; अर्थात् -
परन्तु यह और कि इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी

ब्यौहारी अथवा व्यक्ति से विभागीय वैबसाईट पर बिना डिजिटल हस्ताक्षर के सावधिक विवरणी दाखिल किया जाना अपेक्षित है कमिश्नर, यदि सन्तुष्ट हैं तो, सभी ब्यौहारियों अथवा व्यक्तियों के लिए अथवा ब्यौहारियों अथवा व्यक्तियों के किसी वर्ग के लिए, जैसा वह उचित समझें, ऐसी विवरणियों की इलैक्ट्रॉनिकली जनरेटेड एवं हस्ताक्षरित हार्ड कापी को दाखिल किए जाने की आवश्यकता को निम्न शर्तों के अधीन शिथिल कर सकता है :-

(एक) कि ऐसी विवरणियों से संबंधित इलैक्ट्रॉनिकली जनरेटेड "पावती" की सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित हार्ड कापी, कर अथवा अन्य देयों के भुगतान अथवा ई-भुगतान के साक्ष्यों सहित दाखिल कर दी गयी है; और

(दो) यह कि ऐसी इलैक्ट्रॉनिकली जनरेटेड विवरणियों की हार्ड कापी उतने समय तक, जितना कि धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन लेखों के सुरक्षित रखने के लिए प्राविधानित है, सुरक्षित रखी जायेगी; और

(तीन) यह कि ऐसी संरक्षित हार्ड कापी, जब भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाय, प्रस्तुत की जायेगी।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

सं० 327/2014/181(120)/XXVII(8)/08 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3- भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 4- सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
- 5- एन0आई0सी0
- 6- गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
(शिव शंकर मिश्रा)
अनुसचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 327/2014/181(120)/XXVII(8)/08 dated 26 March, 2014 for general information.

Government of Uttarakhand
Vitta Anubhag-8
No. 327/2014/181(120)/XXVII(8)/08
Dehradun : Dated: 26 March, 2014

Notification

In exercise of powers conferred by section 71 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005, The Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Value Added Tax Rules, 2005.

The Uttarakhand Value Added Tax (Amendment) Rules, 2014

Short title and Commencement 1. (1) These rules may be called The Uttarakhand Value Added Tax (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force at once.

Amendment in Rule 11 2. In rule 11 of The Uttarakhand Value Added Tax Rules, 2005, hereinafter referred to as the "Principal Rules"-

(1) In the third column at serial no. 1 of the table given in sub-rule (1), for the words, comma and figure "Quarterly, for quarter ending June 30, September 30, December 31 and March 31 up to 25th of the succeeding month" the words, comma and figure shall be substituted as follows; namely :-

"Quarterly, for quarter ending June 30, September 30, December 31 and March 31 up to the last date of the succeeding month"

(2) In the 4th column at serial no. 1,2, 3, 4, 5 and 6 of the table given in sub-rule (1), for the words and figure "25th of the succeeding month" the words and figure "20th of the succeeding month" shall be substituted.

(3) After the third proviso of sub-rule (1) a new proviso shall be added as follows; namely:-

Provided further that, notwithstanding anything contained in this Rule, where a dealer or a person is required to submit periodical return online on the website of the department without digital signature, commissioner, if satisfied, may waive, for all dealers or persons or for a class of dealers or persons which he deems fit, the requirement of submission of electronically generated and signed hard copy of such return with the conditions;

(i) that a duly signed electronically generated hard copy of the "acknowledgement" related to such return is submitted along with hard copy of the proof of payment or e-payment of tax or any other dues; and

(ii) that the hard copy of such electronically generated return is protected for the period as is provided to preserve the "accounts" under sub-section (1) of section 61; and

(iii) that such protected hard copy is produced whenever so required by the assessing authority.


(Rakesh Sharma)
Additional Chief Secretary.